भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *71

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियां

†*71. डॉ.सी.एम.रमेश:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों पर हाल ही में विज्ञान पत्रिका 'नेचर' में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शौचालयों और बेहतर स्वच्छता सेवाओं तक सुलभता प्रदान करने वाले स्वच्छ भारत मिशन से 2014 और 2020 के बीच हर साल 60000-70000 शिशु मृत्यु को रोका गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर में आंध्र प्रदेश में 35 प्रतिशत और तेलंगाना में 38 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार की राज्यों की मदद से किस प्रकार नए लक्ष्य हासिल करने की इस गति को बनाए रखने की योजना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 29 नवंबर, 2024 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.*71 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): 'नेचर' पत्रिका में वर्ष 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन से यह पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ने वार्षिक रूप से 60,000-70,000 शिशुओं का जीवन बचाकर देश भर में शिशु और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ग) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर वर्ष 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 24 हो गई है और वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 35 से घटकर वर्ष 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 21 हो गई है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डब्ल्यू) देश में शिशु जीवन दर में सुधार के लिए वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति के कार्यान्वयन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। इन कार्यकलापों में शामिल हैं:

(i) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत नकद प्रोत्साहन के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।

(ii) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत पात्रता।

(iii) बीमार और छोटे बच्चों की परिचर्या के लिए नवजात गहन परिचर्या इकाइयों (एनआईसीयूएस)/विशेष नवजात परिचर्या इकाइयों (एसएनसीयू) और नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (एनबीएसयू) की स्थापना करना।

(iv) बच्चों के पालन-पोषण की परिपाटियों में सुधार के लिए आशाकर्मियों द्वारा घर पर नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की घर पर परिचर्या प्रदानगी।

(v) माताओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम (मां) के माध्यम से पहले छह माह के लिए प्रारंभिक स्तनपान की शुरुआत और केवल स्तनपान को बढ़ावा देना।

(vi) बच्चों में डायरिया (दस्त) के प्रबंधन के लिए ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना।

(vii) सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए कार्रवाई (सांस) के तहत निमोनिया पर प्रारंभिक जांच, पहचान और प्रबंधन तथा जिला अस्पताल स्तर पर बीमार बच्चों के प्रबंधन के लिए बाल चिकित्सा परिचर्या को मजबूत करना।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरएसके) उत्तरजीविता की गुणवत्ता में सुधार के लिए दोषों, बीमारियों, कमियों और देरी से संबंधित बाल स्वास्थ्य जांच और अन्य प्रारंभिक सेवाएं प्रदान करता है।

*****